

अचल सम्पत्तियों के लिए सार्वजनिक नीलामी बिक्री सूचना

जबकि, बड़ौदा यूपी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आरितियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम 2002) (2002 का 54) एवं प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 की धारा 13 (12) सपटित नियम 8 (6) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित ऋणियों को एक मांग नोटिस जारी की गई थी तथा बंधक सम्पत्तियों पर कब्जा भी लिया गया है। इस सूचना के द्वारा सार्वजनिक रूप से जनसामान्य व ऋणी/बंधककर्ता/जमानतकर्ता को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित मामलों में बकाया धनराशि की वसूली हेतु नीचे दर्शायी गई सम्पत्तियों की बिक्री प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के निम्नलिखित विवरणानुसार बड़ौदा यू.पी. बैंक फैंजाबाद के ऋण खाते में बन्धक रखी हुई सम्पत्तियों की नीलामी 'जहाँ है जैसी है, जो है जैसी है, जो कुछ भी है' के आधार पर नीलामी हेतु प्राप्त टेण्डरों में से सर्वाधिक राशि के टेण्डरों के पक्ष में की जायेगी। जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (रो) और गारंटीदाता (ओ)/बंधककर्ता (ओ) को एतद्वारा दोबारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने सरफेसी अधिनियम, 2002 के अधीन निम्नांकित अचल सम्पत्तियों के लिए बोली/निविदाएं/आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इसलिए, इच्छुक व्यक्तियों/बोलीदाताओं को **12.09.2024** को या उससे पहले, बड़ौदा यू.पी. बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय : अयोध्या, पोस्ट-साहेबगंज, जिला-अयोध्या 224001 (यू.पी.) में मुखरन्द लिफाफे में, निम्नांकित नियम व शर्तों को पढ़ करके अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बोली **13.09.2024** को खोली जाएगी। उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूति आरितियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के सन्दर्भ में उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबन्धों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	शाखा का नाम व ऋणी/बंधककर्ता का नाम	अचल सम्पत्ति का विवरण/सम्पत्ति का नाम (बंधक सम्पत्ति/या परिसम्पत्ति से संबंधित सभी भाग व हिस्सों सहित)	अ) मांग सूचना तिथि ब) अधिग्रहण तिथि स) बकाया धनराशि	अ) आरक्षित मूल्य ब) धरोहर राशि स) अधिग्रहण के प्रकार
1.	शाखा : अयोध्या उधारकर्ता-मैसर्स उपाध्याय इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स, जमुनियाबाग, राजकरन स्कूल के पास, अयोध्या-224001 प्रोप्राइटर कौशल रमेश उपाध्याय पुत्र दुखी राम उपाध्याय 06/13/61, बड़ा रमना, जमुनियाबाग, अयोध्या 224001 जमानतकर्ता: (1) श्री राजेश कुमार मिश्र पुत्र उमादत्त मिश्र, 734, अवधपुरी कॉलोनी, अमानागंज, अयोध्या 224001 (2) श्रीमती. रेखा उपाध्याय पत्नी कौशल किशोर उपाध्याय, 6/13/61, बड़ा रमना, जमुनिया बाग अयोध्या 224001 (3) अमरीश कुमार श्रीवारत्त पुत्र सुरेंद्र कुमार श्रीवारत्त, 9/5/86/2, चक्रतीर्थ, अयोध्या 224001	प्लॉट नंबर-222, चक नंबर-8, मकान नंबर-6/13/57 नया, 6/13/48 पुराना, मुहल्ला-रमना, परगना- हवेली अवध, तह-सदर जिला-अयोध्या, विक्रय विलेख संख्या-3150/15, पुस्तक संख्या-1, जिल्द सं-5954, पृष्ठ संख्या-387-430 दिनांक 23.04.2015 द्वारा खरीदा गया, जोकि श्रीमती रेखा पत्नी कौशल किशोर उपाध्याय के नाम पर है, क्षेत्रफल-149.70 वर्ग मीटर। चौहद्दी (डीड के अनुसार): पूर्व-नाली, पश्चिम-16 फिट चौड़ा रास्ता, उत्तर-मुन्नी लाल और रमेश चंद्र शर्मा का घर, दक्षिण-सुरेन्द्र प्रसाद महेन्द्रा का घर और हाता।	18.03.2024 18.06.2024 समाचार-पत्र में प्रकाशित कब्जा सूचना की तिथि 22.06.2024 ₹. 10,29,789.00 + दिनांक 11.01.2024 से अप्रयुक्त ब्याज + अन्य खर्च	₹. 43,34,958.00 ₹. 4,35,495.00 सांकेतिक कब्जा
2.	शाखा : फैंजाबाद मुख्य शाखा उधारकर्ता-मैसर्स सिंह बिल्डिंग मटेरियल प्रो. श्री कमलजीत सिंह पुत्र श्री अशोक कुमार सिंह, पता - साईं दाता कुटिया बाईपास, जनौरा, जिला-अयोध्या 224001 एवं श्री कमलजीत सिंह पुत्र श्री अशोक कुमार सिंह, आवासीय पता-1084 जनौरा फैंजाबाद जिला- अयोध्या 224001	संपत्ति/भूमि प्लॉट नंबर 319 मि, क्षेत्रफल-1125 वर्ग फीट, पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 930 दिनांक-24.02.2007 के माध्यम से खरीदा गया, ग्राम जनौरा (एएनपी), परगना-हवेली अवध, तहसील-सदर, जिला-अयोध्या में स्थित है। स्वामी-श्री कमलजीत सिंह पुत्र श्री अशोक कुमार सिंह सीमाएँ (डीड के अनुसार): पूर्व-रास्ता 10, पश्चिम-सुदामा सिंह का घर, उत्तर-श्रीमती प्रेमलता सिंह का घर, दक्षिण-राम प्रकाश का घर	05.01.2024 19.03.2024 समाचार-पत्र में प्रकाशित कब्जा सूचना की तिथि 24.03.2024 ₹. 8,33,274.00 + दिनांक 31.12.2023 से अप्रयुक्त ब्याज + अन्य खर्च	₹. 16,72,200.00 ₹. 1,67,220.00 सांकेतिक कब्जा
3.	शाखा : टीनाही उधारकर्ता- मैसर्स विशाल स्टील्स प्रो. राम खेलावन गुप्ता पता ग्राम और पोस्ट गुबारकगंज जिला-अयोध्या जमानतकर्ता : श्रीमती मिथिलेश गुप्ता पत्नी श्री राम खेलावन गुप्ता व श्री सतीश गुप्ता पुत्र श्री राम खेलावन गुप्ता	अचल संपत्ति का विवरण: संपत्ति/भूमि प्लॉट नंबर 56एम, नया नंबर 61एम बिक्री विलेख संख्या 5830/91 दिनांक 27-11-1991 के माध्यम से खरीदा गया जो ग्राम उत्तर (बहार नगर पालिका अंदर इम्पुवमेंट ऑफ ट्रस्ट) परगना हवेली अवध तहसील और जिला-अयोध्या में स्थित है। क्षेत्रफल: 1361 वर्गफिट जोकि श्रीमती मिथिलेश गुप्ता पत्नी श्री राम खेलावन गुप्ता के नाम पर है चौहद्दी: पूर्व-सड़क, पश्चिम-भूमि श्री राम चंदर और अन्य, उत्तर-भूमि श्री राम आसरे, दक्षिण- शेष वेदी की भूमि।	30.09.2016 06.02.2024 समाचार-पत्र में प्रकाशित कब्जा सूचना की तिथि 12.02.2024 ₹. 03,48,887.00 + दिनांक 30.09.2016 से अप्रयुक्त ब्याज + अन्य खर्च	₹. 38,20,500.00 ₹. 3,82,050.00 सांकेतिक कब्जा
4.	शाखा : आर.बी.एन. गोसाईगंज उधारकर्ता- मैसर्स कंचन मेडिकल स्टोर प्रो. स्व. कमल नयन वर्मा कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से 1. कंचन वर्मा पत्नी स्वर्गीय कमल नयन वर्मा निवासी मोहल्ला कटरा गोसाईगंज सदर जिला-अयोध्या 2. वीरेंद्र कुमार वर्मा पुत्र स्वर्गीय कमल नयन वर्मा निवासी मुहल्ला कटरा गोसाईगंज सदर जिला-अयोध्या 3. शैलेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र स्व. कमल नयन वर्मा निवासी मुहल्ला कटरा गोसाईगंज सदर जिला- अयोध्या जमानतकर्ता-श्री अशोक कुमार वर्मा पुत्र श्री राम अभिलाख वर्मा, पता ग्राम-मझगांव देवगिरिया पोस्ट - अंकारीपुर जिला अयोध्या और श्री पैकाली चंद्र गोस्वामी पुत्र मुनिराम गोस्वामी पता ग्राम- बला पैकाली पोस्ट - गोसाईगंज, जिला अंबेडकर नगर	अचल संपत्ति का विवरण: 1. भूमि प्लॉट संख्या 1050क विक्रय विलेख संख्या 5898/2016 दिनांक 30.07.2016 के माध्यम से खरीदी गई, जो ग्राम अंकारीपुर परगना अमसिन जिला-अयोध्या में स्थित है। क्षेत्रफल: 95 वर्गमीटर। जोकि श्री कमल नयन वर्मा के नाम पर है। चौहद्दी: पूर्व-राकेश सिंह की भूमि, पश्चिम-क्रेता का भूखंड, उत्तर-रेलवे की भूमि, दक्षिण-सड़क 2. भूमि प्लॉट संख्या 1050क विक्रय विलेख संख्या 5216/2016 दिनांक 5.07.2016 के माध्यम से खरीदी गई टिटिटा झा डीड संख्या 183/2017 दिनांक 13/01/2017, जो ग्राम अंकारीपुर परगना अमसिन जिला-अयोध्या में स्थित है। क्षेत्रफल: 95 वर्गमीटर। श्री जोकि श्री कमल नयन वर्मा के नाम पर है चौहद्दी: पूर्व- राकेश सिंह की भूमि, पश्चिम- क्रेता का भूखंड, उत्तर- रेलवे की भूमि, दक्षिण-सड़क 3. भूमि प्लॉट संख्या 1050क विक्रय विलेख संख्या 6137/2016 दिनांक 09.08.2016 के माध्यम से खरीदी गई, जो ग्राम अंकारीपुर परगना अमसिन जिला-अयोध्या में स्थित है, क्षेत्रफल 63.34 वर्गमीटर। जोकि श्री कमल नयन वर्मा के नाम पर है, चौहद्दी: पूर्व- राकेश सिंह की भूमि, पश्चिम- क्रेता का भूखंड, उत्तर- रेलवे की भूमि, दक्षिण-सड़क 4. भूमि प्लॉट संख्या 1050क बिक्री विलेख संख्या 4812/2017 दिनांक 17.08.2017 के माध्यम से खरीदी गई, जो ग्राम अंकारीपुर परगना अमसिन जिला-अयोध्या में स्थित है। क्षेत्रफल: 31.66 वर्ग मीटर। श्री कमल नयन वर्मा के नाम पर चौहद्दी: पूर्व- राकेश सिंह की भूमि, पश्चिम- क्रेता का भूखंड, उत्तर- रेलवे की भूमि, दक्षिण- सड़क 5. भूमि प्लॉट संख्या 1050क बिक्री विलेख संख्या 3856/2018 दिनांक 16.05.2018 के माध्यम से खरीदी गई, जो ग्राम अंकारीपुर परगना अमसिन जिला-अयोध्या में स्थित है, क्षेत्रफल: 95 वर्ग मीटर। जोकि श्री कमल नयन वर्मा के नाम पर है चौहद्दी: पूर्व- राकेश सिंह की भूमि, पश्चिम- क्रेता का भूखंड, उत्तर- रेलवे की भूमि, दक्षिण-सड़क 6. भूमि प्लॉट संख्या 1258 मिनट विक्रय विलेख संख्या 1927/1985 दिनांक 23.09.1985 के माध्यम से खरीदी गई जो ग्राम अंकारीपुर परगना अमसिन जिला-अयोध्या में स्थित है। क्षेत्रफल: 14.86 वर्गमीटर। जोकि श्री कमल नयन वर्मा के नाम पर है चौहद्दी: पूर्व-रेलवे स्टेशन की गली, पश्चिम-बलदेव प्रसाद की मजरुआ भूमि, उत्तर- क्रेता का घर, दक्षिण कोलिया 8' चौड़ाई 7. भूमि प्लॉट संख्या 1257/2 मिनट बिक्री विलेख संख्या 1346/1982 दिनांक 16.10.1982 के माध्यम से खरीदी गई, जो ग्राम अंकारीपुर परगना-अमसिन जिला-अयोध्या में स्थित है। क्षेत्रफल: 18.58 वर्गमीटर जोकि श्री कमल नयन वर्मा के नाम पर है, चौहद्दी: पूर्व-सड़क (बस स्टेशन) पश्चिम-रास्ता खाम लगभग 6' उत्तर-महादेव प्रसाद का ट्यूबल, दक्षिण-रास्ता खाम लगभग 6'	15.01.2024 15.04.2024 समाचार-पत्र में प्रकाशित कब्जा सूचना की तिथि 20.04.2024 ₹. 12,21,833.73 + दिनांक 31.12.2023 से अप्रयुक्त ब्याज + अन्य खर्च	₹. 17,80,200.00 ₹. 1,78,000.00 सांकेतिक कब्जा
5.	शाखा : दर्शननगर अयोध्या उधारकर्ता- मैसर्स श्री विजयसेन यादव पुत्र स्वर्गीय राम औतार यादव कानूनी उत्तराधिकारी- स्वरूपा पत्नी श्री विजयसेन यादव	आबादी प्लॉट नंबर 874 ख क्षेत्रफल-46 फीट X 230 फीट कुल क्षेत्रफल 10580 वर्ग फीट, वर्तमान में मकान संख्या 396 ए ए / 1 राजस्व ग्राम मधना उपरहार (कुर्की) पोस्ट पूरा बाजार, परगना अमसिन, तहसील सदर जिला फैंजाबाद में स्थित है। चौहद्दी: उत्तर - शेषदत्त की भूमि, दक्षिण- जगदंबा व त्रिलोकी का खलियान, पूर्व-मकान कमला प्रसाद, पश्चिम-मकान श्यामलाल और रास्ता 12 फीट कुर्की चौराहा से शिव बरन के मकान तक। स्वामी : शिवबरन पुत्र श्री राम औतार	16.12.2023 16.04.2024 समाचार-पत्र में प्रकाशित कब्जा सूचना की तिथि 20.04.2024 ₹. 10,45,972.00 + दिनांक 30.09.2016 से अप्रयुक्त ब्याज + अन्य खर्च	₹. 27,34,200.00 ₹. 2,73,420.00 सांकेतिक कब्जा
6.	शाखा : आर.बी.एन. गोसाईगंज उधारकर्ता- श्री अशोक कुमार उर्फ राजीव पुत्र श्री शिव प्रसाद निवासी टेटिया गली गोसाईगंज पोस्ट-गोसाईगंज जिला अयोध्या जमानतकर्ता: (1) श्री बल्लू सोनकर पुत्र हीरालाल, निवासी-महदपुर गोसाईगंज पोस्ट गोसाईगंज जिला अयोध्या (2) श्री अरविंद कुमार पुत्र श्री शिवप्रसाद, निवासी-टेटिया गोसाईगंज पोस्ट गोसाईगंज जिला अयोध्या	प्लॉट संख्या 202, बिक्री विलेख संख्या 3737/89, दिनांक 17/11/1989, क्षेत्रफल-997 1/2 वर्गफुट की बंधक संपत्ति। माहल्ला टेटिया गोसाईगंज पोस्ट-गोसाईगंज, परगना-अमसिन, तहसील-सदर, जिला-अयोध्या चौहद्दी (डीड के अनुसार): पूर्व-तालाब, पश्चिम-कच्चा रास्ता, उत्तर-शकुंतला देवी का मकान, दक्षिण-बहराड़की का मकान स्वामी : राजीव व अरविंद U/G श्री शिव प्रसाद पुत्र रामफेर	25.09.2016 03.06.2017 ₹. 3,87,791.00 + दिनांक 25.09.2016 से अप्रयुक्त ब्याज + अन्य खर्च	₹. 5,06,700.00 ₹. 50,670.00 सांकेतिक कब्जा
7.	शाखा : आर.बी.एन. गोसाईगंज उधारकर्ता- मे. अजय क्रैन क्रेशर, प्रो. अजय कुमार वर्मा पुत्र सूर्यमान वर्मा, निवासी-ग्राम तकिचा कालू पोस्ट मुस्तफाबाद जिला अंबेडकर नगर जमानतकर्ता: (1) श्री सूर्यमान वर्मा पुत्र युवराज वर्मा, निवासी ग्राम तकिचा कालू पोस्ट मुस्तफाबाद जिला-अंबेडकरनगर (2) श्रीमती शकुंतला पत्नी सूर्यमान वर्मा निवासी ग्राम तकिचा कालू पोस्ट मुस्तफाबाद जिला अंबेडकर नगर	प्लॉट नंबर 36 की संपत्ति गिरवी, विक्रय पत्र संख्या 2011, दिनांक 22-05-2009, क्षेत्रफल-0.247 हेक्टेयर., गाँव- तकिचा कालू पोस्ट- मुस्तफाबाद, परगना- मिडौरा, तहसील-भीटी, जिला-अंबेडकर नगर. चौहद्दी (डीड के अनुसार): पूर्व-चक मार्ग, पश्चिम-रास्ता का प्लॉट उज्जगरिण व रामकवल, उत्तर- प्लॉट उदयमान वर्मा, दक्षिण- तिवागपुर से सेनपुर रोड स्वामी: श्रीमती शकुंतला पत्नी श्री सूर्यमान वर्मा	25.09.2016 03.06.2017 ₹. 8,05,316.00 + दिनांक 26.09.2016 से अप्रयुक्त ब्याज + अन्य खर्च	₹. 13,92,300.00 ₹. 1,39,230.00 सांकेतिक कब्जा

बिक्री के नियम एवं शर्तें : 1. इच्छुक बोलीदाताओं को मुखरन्द लिफाफे में अपनी बोली जमा करनी है। (लिफाफे के ऊपर स्पष्ट और पठनीय बोली क्रम सं. एवं प्रकाशन की तिथि वर्णित होनी चाहिए। 2. बोलीदाताओं को बोली के साथ अग्रिम में फैंजाबाद में देययोग्य एवं प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू.पी. के पक्ष में डीडी/बैंकर्स चेक के रूप में जमा धरोहर राशि के रूप में आरक्षित मूल्य का 10% जमा/सलन करना होगा। सर्वोच्च बोली मूल्य (आरक्षित मूल्य से कम की नहीं होनी चाहिए) को सफल बोलीदाता के रूप में माना जाएगा और शेष असफल बोलीदाताओं की ईएमडी एक सप्ताह के अन्दर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। 3. सफल बोलीदाता को डीडी/बैंकर्स चेक के रूप में अगले दिन बोली रकम (ईएमडी को छोड़कर) का 15% जमा करना होगा और शेष अनिवार्य रूप से बिक्री की तिथि के 15 दिनों के अन्दर जमा करना होगा, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके द्वारा पूर्व में जाना की गयी रकम जब्त कर ली जाएगी। 4. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये या पूर्व सूचना दिये बोली/सर्वोच्च बोली को स्वीकार/अस्वीकार/रद्द/निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित धार रखता है। प्राधिकृत अधिकारी बिक्री/नीलामी की तिथि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 5. प्राधिकृत अधिकारी किसी भी प्रकार के बकाया प्रभारों/देनदारियों/भार/करों/सरकारी बकायों और अन्य पक्ष के दावों व बकायों के लिए जवाबदेह नहीं होंगे। 6. सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य से कम में किसी भी रकम पर बेचा नहीं जाएगा। सफल बोलीदाता को सभी स्ट्याम ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा। 7. यदि ऐसा पाया जाता है कि दो या अधिक बोलीदाताओं की एक समान बोली रकम है तो प्राधिकृत अधिकारी उनके मध्य पुनः नयी बोली आमंत्रित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 8. बोली/बैंकर्स चेक की पुष्टि के अधीन होगी। सम्पत्ति को 'जैसा है जहाँ है', 'जैसा है जो कुछ है' और 'वहाँ जो कुछ भी है' आधार पर बेचा जा रहा है। 9. अगर कोई कर्जदार/गारंटीदाता/बंधककर्ता नीलामी से पहले बैंक को पूर्ण बकाये का भुगतान कर देता है तो नीलामी को रोक दिया जाएगा। अतः कर्जदार/गारंटीदाता/बंधककर्ता के पास नीलामी से पूर्व प्रतिभूत आरितियों को निर्गत करने का अवसर होगा जो प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 की धारा 13 की उप- (8) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन संशोधन नियमों 2002 द्वारा) के अधीन बकाया पूर्ण राशि एवं प्रभारों के भुगतान के अधीन होगा। 10. यह बोलीदाताओं की एकमत आरितियों के लिए एकमत जिम्मेदारी है कि धारा 13 के संबंध में संपुष्ट एवं पुष्ट हो लें। वे अपराध 2:00 बजे से साथ 5:00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस पर संबंधित शाखा के अधिकारी सम्पत्ति को देख कर निरीक्षण कर सकते हैं। 11. आयकर अधिनियम की धारा 194-आईए के तहत 50 लाख रुपये से अधिक की सम्पत्ति खरीदने पर 1 प्रतिशत टीडीएस के रूप में देय होगा। 12. यह बिक्री नोटिस कर्जदारों/गारंटीकर्ता (ओं)/बंधककर्ता (ओं) के लिए विशेष रूप से तथा जनता के साधारण के लिए सामान्य रूप से है। 13. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदारों की वेबसाइट में प्रदान किए गये लिंक यानि <https://www.barodaupbank.in/sarfasinotice.php> देखें।

कर्जदारों/गारंटीदाताओं/कानूनी वारिसों/बंधककर्ता(ओं) को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नीलामी से पूर्व बैंक को उपरोक्त वर्णित सभी बकाये का भुगतान करें. अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो बंधक सम्पत्ति को वर्णित तिथि को बेच दिया जाएगा और अगर कोई अन्य बकाया शेष होगा तो उसे उचित ब्याज प्रभारों एवं व्यय के साथ उनसे वसूल किया जाएगा।